न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

(21)

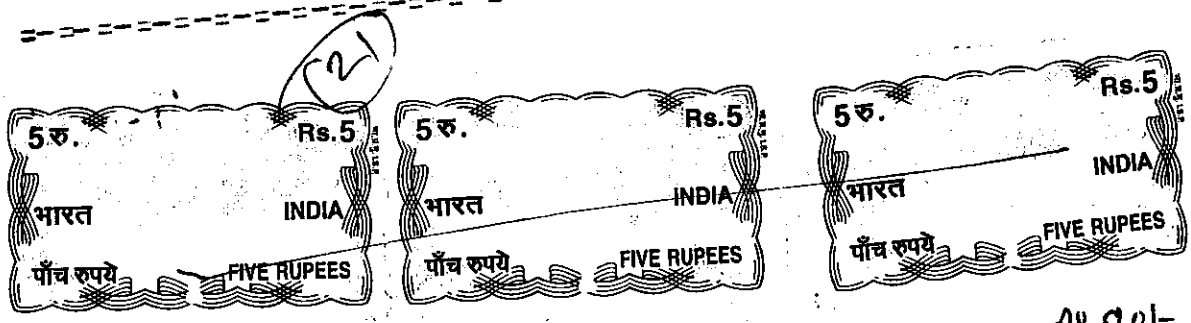

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

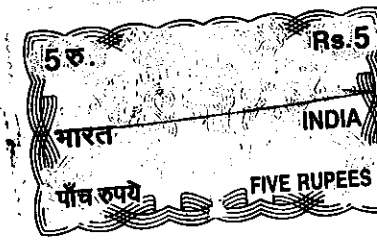

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs 20/-

R 5141-III/16

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1 रामनरेश मिश्र उम्र 70 साल सभी पिता रामप्रसाद मिश्र

2. राममणि मिश्र उम्र 65 साल

3. श्याममणि मिश्र उम्र 60 साल

4. श्रीमती रघुरजिया पत्नी राम नरेश मिश्र

5. श्रीमती तिजऊआ पत्नी राममणि मिश्र

6. श्रीमती सोनौआ पत्नी श्याममणि मिश्र

7. भागवत प्रसाद मिश्र

8. संतोष प्रसाद मिश्र पिता रामानुज मिश्र

9. रामभिलाष मिश्र पिता सीता राम मिश्र

10 सुरेश प्रसाद पिता गजाधर प्रसाद

सभी निवासीग्राम डिहुली थाना कमर्जी तहसीलचुरहट जिला सीधी (म0प्र0)

------ पुनरीक्षणकर्तागण

श्री.रा.के.रा. त्रिवेदी द्वारा आज दिनांक 7-3-16 प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

रामसुशील उपाध्याय पिता श्री रामनारायण उपाध्याय उम्र 58 साल निवासी ग्राम डिहुली तहसील चुरहट जिला सीधी (म0 प्र0) ---- गैर पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब तहस[illegible] चुरहट के रा0 प्र0क्र0 3अ-13/2015-16 में प[illegible] आदेश दिनांक 24.2.2016

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा.सं.

मान्यवर, निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5141–दो/2016 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रामनरेश मिश्रा विरूद्ध रामसुशील उपाध्याय	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर बिचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर बिचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य बिवाद रास्ते से संबंध्ति है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 24.02.16 का भी अवलोकन करते हुए विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश अंतरिम स्वरूप का जारी कर उभयपक्ष को दिनांक 5.3.16 को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है । इसके साथ ही उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध है जहां पर वे अधीनस्थ न्यायालय क समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। अतः उपरोक्त विद्यमान तथ्यों के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो। सदस्य	